निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

करण संख्या – 05/2021 दिनांक : 01.11.2021

अनवान

1. देवीलाल पिता नाना जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर।
2. बालचन्द्र पिता नाना जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर।
3. सुरेश पिता नाना जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर।
4. नरेश पिता नाना जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर।

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ
2. सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौडगढ

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत इस आ ाय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादीगण के खातेदारी की मौजा ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का कुंथना, तहसील भदेसर की साबिक खाता सं. 103 में अंकित आ.नं. 26/9 रकबा 06 बीघा दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2065–2068, मिलान क्षैत्रफल, अवधि बंदोबस्त संलग्न वाद पत्र है।
2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात हम वादीगण के पिता एवं दादाजी को आवंटित हुई, उसी आवंटित दिनांक से हम वादीगण एवं हमारे पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी साबिक रकबे पर भी हम वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे है।
3. यह कि ग्राम गाडरियावास प0ह0 कुंथना तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भू प्रबंध अधिकारीयों द्वारा भू प्रबंध किया गया। भू प्रबंध के दरम्यिान वादीगण के खातेदारी में दर्ज आ.नं. 26/9 रकबा 06 बीघा को राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया एवं साबिक नम्बर 26/9 के कोई नये नम्बर दर्ज नहीं किये गये है। जबकि मौके पर हम वादीगण हमारे पूर्वजो को आवंटित किये गये रकबे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिससे हम वादीगण की ओर से वाद पत्र खातेदारी घोषणात्मक डिक्री का पेश है।
4. यह कि वादीगण विवादित आराजीयात पर अपने पिता एवं दादा के जीवनकाल से ही यानि आवंटित दिनांक से ही काबिज होकर हम वादीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

जिस पर हम वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में भू–प्रबंध अधिकारियो द्वार दौरान भू–प्रबंध वादीगण की खातेदारी की आराजीयात को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया ओर यह कृत्य भू–प्रबंध अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर वादीगण के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को विलोपित किया है जिससे वादीगण उक्त आराजीयात को अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने के अधिकारी होने से वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती को पेश किया है।

5. यह कि विवादित आराजीयात सेटलमेंट के पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। मौके पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं वर्तमान में भी आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त में है फिर भी ऐसा परिवर्तन भू प्रबंध अधिकारियों ने किया जो गलत है इसकी आड में प्रतिवादीगण वादीगण को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत है।

6. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं किसी अन्य को आवंटित नहीं कर दे ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।

7. यह कि बिनाय मुखास्मत वादपत्र दिनांक 03.12.2020 को विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कालम संख्या 01 में वर्णित मौजा गाडरियावास प0ह0 कुंथना की साबिक खाता संख्या 103 पर दर्ज आ0नं0 26/9 रकबा 6 बीघा को राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दी है जिसको पुनः वादीगण के खातेदारी की घोषित की जाकर उसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री फरमाई जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण को हक हिस्से से बेदखल नहीं करे ना हि किसी अन्य से करावे एवं विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटित नही ना हि किसी प्रकार की दखलदंजी नहीं करे ना हि किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वाद के समर्थन में वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियावास साबिक खाता सं. 103 संवत् 2065–2068
2. अवधि बंदोबस्त संवत् 2066
3. मिलान क्षेत्रफल मौजा गाडरियावास

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत कुंथना शिविर में वादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर वाद पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया एवं वादीगण द्वारा

Scanned with CamScanner

बताया कि सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा हम वादीगण के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को पूर्ण रूप से विलोपित कर दि है जबकि हम वादीगण आवंटन दिनांक से ही मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है एवं वर्तमान में आ0नं0 253, आ0नं0 265, एवं आ0नं0 267 पर रकबे अनुसार काबिज है। वादीगण के कथन पर मनन किया गया। नकल जमाबन्दी मौजा कुंथना की साबिक आ.नं. 26/9 रकबा 06 बीघा भूमि वादीगण के पिता एवं दादा के नाम भू प्रबन्ध से पूर्व खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी, को भू प्रबंध के पश्चात भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा उक्त आराजीयात को बिलानाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीगण वर्तमान में आरजी नं. 265 एवं 267 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। अतः आराजी नम्बर 265 रकबा 2.03 हैक्टेयर में से 1.03 एवं आराजी नम्बर 267 रकबा 0.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण किता 2 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज मौजा गाडरियावास प0ह0 कुंथना के साबिक आराजी नम्बर 26/9 रकबा 06 बीघा भूमि दर्ज थी। जिसके सेटलमेंट विभाग द्वारा बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई लेकिन वर्तमान में वादीगण का आराजी नम्बर आरजी नं. 253, 265 एवं 267 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिये आराजी नम्बर 265 रकबा 2.03 हैक्टेयर में से 0.42 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 267 रकबा 0.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 253 रकबा 1.40 हैक्टेयर में से 0.61 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि को वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner